संख्या- 05 /2022/ 386 /क.नि.प्र./26-3-2022-18(64)98

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ: दिनांक: मई,2022
समाज कल्याण विभाग

विषय:- सचिवालय स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वेतन,भत्तों आदि की स्वीकृति वर्ष 2022-23

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर,2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च,2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 21.52 लाख (रू0 इक्कीस लाख बावन हजार मात्र) में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों(अप्रैल से जुलाई,2022) के दौरान होने वाले व्यय को वहन किये जाने हेतु रू0 7.11 लाख (रू0 सात लाख ग्यारह हजार मात्र) **की धनराशि** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन संबंधित मदों के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

मद	आय-व्ययक प्राविधान	निर्गत धनराशि
1	2	3
01-वेतन	**6.18**	**2.06**
03-मंहगाई भत्ता	**2.29**	**0.76**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

04-यात्रा व्यय	**0.20**	**0.06**
06-अन्य भत्ते	**0.50**	**0.16**
07-मानदेय	**0.10**	**0.03**
08-कार्यालय व्यय	**0.35**	**0.11**
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	**0.25**	**0.08**
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**0.10**	**0.03**
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**3.35**	**1.12**
18-प्रकाशन	**2.50**	**0.83**
42-अन्य व्यय	**1.00**	**0.33**
45-अवकाश यात्रा व्यय	**0.20**	**0.06**
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**1.00**	**0.33**
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	**1.00**	**0.33**
49-चिकित्सा व्यय	**1.00**	**0.33**
55- मकान किराया भत्ता	**0.50**	**0.16**
58- आउटसोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	**1.00**	**0.33**
योग-	**21.52**	**7.11**

(रू0 सात लाख ग्यारह हजार मात्र)

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप सं0- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनाँक 30.12.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण,01-अनुसूचित जातियों का कल्याण,-789-अनुसूचित जातियों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लिए विशेष घटक योजना,-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0109-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान (के.100/रा.0-के.) की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-4-9-दस/2022-23 दिनांक 24 मई, 2022 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

पृ.संख्या-05 /2022/ 386 (1)/क.नि.प्र./26-3-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/ आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2-महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4-अनुभाग अधिकारी, लेखा, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।
5-बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण, उ.प्र. शासन।
6-वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
7-सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8-एन.आई.सी. की प्रति।
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।